रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL—(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 25—दिसम्बर 1, 2017 (अग्रहायण 4, 1939)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 25—DECEMBER 1, 2017 (AGRAHAYANA 4, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010

सं. एनबी.आईडीडी.आरआरसीबीडी.1565/316(आईबीपीएस)/2016–17––प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक का निदेशक मण्डल, भारतीय स्टेट बैंक, जो प्रायोजक बैंक है और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्द्वारा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :––

2. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 के विनियम 2(1) (त) 'प्रायोजक बैंक'' से ''भारतीय स्टेट बैंक'' अभिप्रेत है;

यह 01 अप्रैल, 2017 की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

वास्ते राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक

एस. पी. श्रीमाली
अध्यक्ष

RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK

RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK (OFFICERS AND EMPLOYEES) SERVICE REGULATIONS, 2010

No. NB.IDD.RRCBD.1565/316(IBPS)/2016-17— In exercise of powers conferred by Section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Board of Directors of Rajasthan Marudhara Gramin Bank, after consultation with the State Bank of India being the Sponsor Bank and the National Bank for Agriculture and Rural Development and with the previous sanction of the Central Government hereby makes in the Rajasthan Marudhara Gramin Bank (officers and Employees) Service Regulations, 2010 following amendment :—

2 (1) (p) "Sponsor Bank" means the State Bank of India.

It will come into force from 01st April, 2017

For Rajasthan Marudhara Gramin Bank

S. P. SHRIMALI
Chairman

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

LAZAR SAGAYA RAJ
Digitally signed by LAZAR SAGAYA RAJ
Date: 2017.11.25 09:26:29 +05'30'